न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/376

श्रीमती द्वारका बाई पत्नी धन्ना लाल आयु 48 वर्ष जाति माली निवासी खेडली आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. केसरा आत्मज श्री रामचन्द्र जाति माली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. छीतर लाल आत्मज केसरा ।
   1/2. तौलाराम आत्मज केसरा ।
   1/3. नन्द लाल आत्मज केसरा ।
   1/4. मुकुट बिहारी पुत्र केसरा ।
   1/5. भरोसी बाई बेवा केसरा ।
   1/6. अनार बाई पुत्री केसरा जाति माली निवासीगण ग्राम नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. मोत्या आत्मज रामचन्द्र जाति माली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. रामदेव आत्मज श्री मोत्या ।
   2/2. रानी बाई पुत्री मोत्या ।
   2/3. कैलाश बाई पुत्री मोत्या ।
   2/4. नट्टी बाई पुत्री मोत्या जाति माली निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. पानी बाई पुत्री रामचन्द्र बेवा रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. खुदाम पुत्र राचमन्द्र ।
   3/2. मदन पुत्र रामचन्द्र ।
   3/3. कृष्ण मुरारी पुत्र रामचन्द्र ।
   3/4. रूपचन्द्र पुत्र रामचन्द्र (नाम तर्क) ।
   3/5. चन्द्रकान्ती पुत्र रामचन्द्र (नाम तर्क) जातियान माली निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. दुर्गालाल पुत्र राम लाल माली ।
5. सत्यनारायण पुत्र रामलाल माली ।
6. देव लाल आत्मज रामलाल माली ।
7. लक्ष्मण आत्मज रामलाल माली ।
8. मोहन लाल पुत्र रामलाल माली ।
9. पुष्पा बाई बेवा रामलाल माली निवासीगण ग्राम मालियान नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा
10. रामगोपाल आत्मज श्री कन्या बाई ।
11. रामकुवांर आत्मज श्री कन्या बाई ।

12. महावीर आत्मज श्री कन्या बाई जाति माली निवासी ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
13. फरीदा बेगम पत्नी जाहिर हुसैन मुसलमान निवासी ग्राम नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/370

श्रीमती द्वारका बाई पत्नी धन्ना लाल आयु 48 वर्ष जाति माली निवासी खेडली आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. केसरा आत्मज श्री रामचन्द्र जाति माली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. छीतर लाल आत्मज केसरा ।
   1/2. तौलाराम आत्मज केसरा ।
   1/3. नन्द लाल आत्मज केसरा ।
   1/4. मुकुट बिहारी पुत्र केसरा ।
   1/5. भरोसी बाई बेवा केसरा ।
   1/6. अनार बाई पुत्री केसरा जाति माली निवासीगण ग्राम नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. मोत्या आत्मज रामचन्द्र जाति माली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. रामदेव आत्मज श्री मोत्या ।
   2/2. रानी बाई पुत्री मोत्या ।
   2/3. कैलाश बाई पुत्री मोत्या ।
   2/4. नट्टी बाई पुत्री मोत्या जाति माली निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. पानी बाई पुत्री रामचन्द्र बेवा रामचन्द्र (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. खुदाम पुत्र राचमन्द्र ।
   3/2. मदन पुत्र रामचन्द्र ।
   3/3. कृष्ण मुरारी पुत्र रामचन्द्र ।
   3/4. रूपचन्द्र पुत्र रामचन्द्र (नाम तर्क) ।
   3/5. चन्द्रकान्ती पुत्र रामचन्द्र (नाम तर्क) जातियान माली निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. दुर्गालाल पुत्र राम लाल माली ।
5. सत्यनारायण पुत्र रामलाल माली ।
6. देव लाल आत्मज रामलाल माली ।
7. लक्ष्मण आत्मज रामलाल माली ।
8. मोहन लाल पुत्र रामलाल माली ।

9. पुष्पा बाई बेवा रामलाल माली निवासीगण ग्राम मालियान नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा
10. रामगोपाल आत्मज श्री कन्या बाई ।
11. रामकुवांर आत्मज श्री कन्या बाई ।
12. महावीर आत्मज श्री कन्या बाई जाति माली निवासी ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
13. फरीदा बेगम पत्नी जाहिर हुसैन मुसलमान निवासी ग्राम नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 09.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 एवं अंतिम डिक्री 20.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की होने तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में सलंग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 से 03 एवं 10, 11 एवं 12 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 11 किता की कुल रकबा 2.63 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण क्रम 1 से 3 व वादीगण क्रम 4 से 6 की मॉ कन्या बाई तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 तथा भंवरी बाई बेवा धूल्या के शामलाती खाते की है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 का 1/4 हिस्सा तथा स्वर्गीय भंवरी बाई का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । भंवरी बाई की मृत्यु के बाद उनका हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्से में चला गया । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 ने उनके 1/4 हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2008 को प्रतिवादी क्रम 7 को बेचान कर दिया । प्रतिवादी क्रम 7 वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है और वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा है और वह अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं ।

4. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के 1/2 हिस्से का होल्डिंग विभाजन किया जाकर वादीगण का 1/2 हिस्सा पृथक से कायम किया जावे एवं पृथक लगान कायम किया जावे तथा मृतक कन्या बाई व भंवरी बाई का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हिस्से की आराजी पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करे और न ही उक्त भूमि को किसी प्रकार से अन्तरण एवं रहन, बेचान करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें ।

5. प्रतिवादीगण कम 1 से 6 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण द्वारा वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 01.07.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर दी । प्राथमिक डिक्री के आधार पर निर्णय दिनांक 20.10.2016 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी के साथ न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही डिक्री पारित करवायी है । उक्त भूमि अपीलान्ट की पैतृक भूमि है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से ही अधिकार है । इस तथ्य की जानकारी वादीगण को होते हुए भी उन्होंने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी हैं । वादग्रस्त आराजी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से ही अधिकार है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2016 निरस्त फरमाये जावें ।

8. अपीलान्ट ने दोनों अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी करवा ली । उक्त निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं क्योंकि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से ही अधिकार है । अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपना हित निहित होना बताया है और उक्त भूमि अपीलान्ट की पैतृक भूमि होना बताया है जिसमें अपना जन्म से ही अधिकार होना

बताया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए उन्हें उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी मई, 2017 में रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी में हिस्सा नहीं दिये व वाद का निर्णय होने की बात कहने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की नकलें प्राप्त ये दोनों अपीलें पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

11. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की पैतृक भूमि है जिसमें वह जन्म से अधिकार रखती है । अपीलान्ट रामचन्द्र की पुत्री है । अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसकी मद संख्या 10 में यह अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है । वादीगण स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित पक्षकार हैं इसलिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है । भंवरी बाई को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है और उनके वारिसान का भी पक्षकार नहीं बनाया है फिर भी उसका हिस्सा तय किया है । कोर्ट कैम्प में निर्णय पारित किया गया है न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित थे और न ही कोइ राजीनामा पेश किया गया था । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्व मण्डल निमयों की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में जो केसरा के बयान कराये गये हैं उसमें केसरा ने यह स्वीकार किया है कि मेरे पिताजी 02 भाई थे धन्ना लाल और रामचन्द्र, रामचन्द्र के 02 लडके मैं तथा मोत्या तथा धन्ना लाल जी के केवल एक लडका रामलाल था । धन्ना लाल और रामचन्द्र अलग हो गये थे । पत्रावली में तनकीयात का पर्चा शामिल किया गया है जिसमें कुछ बिन्दु बाद में जोडे गये हैं जो उचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2016 निरस्त फरमाये जावें ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण कम 1 से 3 व 4 से 6 की मॉ कन्या बाई और प्रतिवादीगण कम 1 से 6 तथा भंवरी बाई बेवा धूल्या के शामलाती खाते में थी । कन्या बाई और भंवरी बाई की मृत्यु हो चुकी है । कन्या बाई के वारिस वादीगण कम 4 से 6 हैं । भंवरी बाई प्रतिवादीगण कम 1 से 5 की दादी और प्रतिवादी कम 6 की सास है । प्रतिवादीगण कम 1 से 6 भंवरी बाई के विधिक वारिस हैं । वादीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा है । प्रतिवादीगण कम 1 से 6 का 1/4 और

भंवरी बाई का 1/4 हिस्सा है । भंवरी बाई की मृत्यु पर 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण के खाते में चला गया है । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 ने 1/4 हिस्से की आराजी को प्रतिवादी क्रम 7 को बेचान किया है । वादीगण ने विभाजन का दावा पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से स्वीकार किया है । तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त रेस्पोडेन्टगण का जो हिस्सा है वो विधिक रूप से पृथक किया गया है । अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । बंटवारे की डिक्री सहमति के आधार पर पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2016 बहाल रखे जावें ।

14. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2062 प्रदर्श– 1 के अनुसार नया खाता संख्या 147 में कुल 11 किता की 2.63 हैक्टर आराजी दुर्गालाल, सत्यनारायण, देवलाल, लक्ष्मण, मोहन पुत्र रामलाल, मु0 पुष्पा बेवा रामकल्याण, सत्यनारायण, देवलाल, लक्ष्मण नाबालिग वली माता पुष्पा हिस्सा 1/4 भंवरी बेवा धूल्या हिस्सा 1/4 केसरा, भोला पुत्र रामचन्द्र, कन्या, पाना पुत्रियॉ रामचन्द्र हिस्सा 1/2 खाते में दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 782 दिनांक 05.08.2008 का नोट अंकित है जिसके अनुसार खातेदार दुर्गालाल, सत्यनारायण, देवलाल, लक्ष्मण, मोहन पुत्र व पुष्पा बेवा रामकल्याण हिस्सा 1/4 भाग पर क्रेता फरीदा बेगम पत्नी जाकिर हुसैन का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है । नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श– 2 संलग्न है । एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श– 3 संलग्न है । नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 4 संलग्न है । इसके अलावा पत्रावली पर कुछ दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की नकल, नक्शा आदि संलग्न हैं जिनको प्रदर्श नहीं किया गया है । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2013–22 के अनुसार कुल 10 किता की 15 बीघा 12 बिस्वा आराजी धन्ना लाल, रामचन्द्र पिसरान खेमला के खाते में दर्ज है ।

16. वादी की ओर से बयान केसरा पीडब्ल्यू–1, रामदेव पीडब्ल्यू–2, मगन लाल पीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

17. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दिनांक 01.07.2015 को वादी क्रम 1/4 मुकुट बिहारी वादी क्रम 1/2 तौला राम, 1/1 छीतर लाल प्रतितवादी क्रम 7 फरीदा, वादी क्रम 2/1 रामदेव और प्रतिवादी क्रम 3 देवलाल और प्रतिवादी क्रम 4 लक्ष्मण की उपस्थिति दर्ज की गई है न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है ।

18. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दावे की मद संख्या 14 में यह अंकित किया गया है कि भंवरी बाई की मृत्यु हो चुकी है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भंवरी बाई का हिस्सा तय किया गया है । पत्रावली पर पृष्ठ संख्या 60 में 07 तनकीयात कायम करके शामिल की गई हैं परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

19. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 एवं अंतिम डिक्री 20.10.2016 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर जवाबदेही का अवसर प्रदान कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

21. निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा